फर्द अहकाम

राजकुमार **बनाम** सनु कुमार वगैरह

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

संख्या .....150.../2025 प्र. पत्र T.1.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
(लगातार)	व्यामोहित एवं व्यापलंगत है। अतः व्यापसंप हाजा इवाजा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06/11/25 को अपीली संख्या 02 लगायत 04 के हिस्से की अराजीपात खु. बा.ख.नं. 755/2599/0.08, 784/2598/0.10, 753/0.06, 754/2.30 वाके मौजा खेरला तहसील पावटा को पैकेट या स्थगित किया जाता है। शेष खातेदारान के हिस्से खु. अन्तरिम T.I. आदेश यथावत जारी रहेगा। पत्रावली पान्ते खत्मीशेष अपीली 0.05 व 08 हेक्टे. कन्टमपट एडी शेष अपीलीगण खसरा पकरब T.I. अपीली संख्या 15 हेक्टे दिनांक 17/02/26 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड़)	
12/02/26	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 17.03.26 को पेश हो।	
17.3.26	वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलो ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 28.4.26 को पेश हो।	
28/4/26	अपीली संख्या 15 बनाम प्र. पत्र T.I. को आज ही सुनकर आपि रूबरू अभि होने पर पत्रावली आज पेश है। अपीली अपीली संख्या का जा.प. खोजबीन कर दा.नि. किया गया। प्र.प. T.I. की तरफ पिछले का खारिज किया जाता है पत्रावली उचित अग्रिम हेतु कार्यालय को भेजी बाद प्रतिलिपि अभिलेख हो	Identified By (रघुवीर सिंह) 28.4.26

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)